

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 27-3-17

विषय:-

बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अधीन, वित्तीय वर्ष-2016-17 में केन्द्रांश मद के तहत विपत्र कोड-पी 2230011120201 के अन्तर्गत विषयशीर्ष-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01) में तृतीय अनुपूरक माध्यम से प्राप्त रू0 59.20 लाख (उन्नसठ लाख बीस हजार) एवं विपत्र कोड-पी 2230011120101 के अन्तर्गत विषयशीर्ष- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01) में रू0 380.00 लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख) मात्र अतिरिक्त राशि की व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से विमुक्त बंधुआ मजदूरों को लाभावन्त करने हेतु केन्द्रांश मद में उपशीर्ष-0201-बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी 2230011120201) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01) में रू0 59.20 लाख एवं बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पुनरीक्षित नयी संशोधित स्कीम के तहत सभी जिलों में Corpus Fund के गठन हेतु उपशीर्ष 0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी 2230011120101) के अन्तर्गत विषयशीर्ष- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01) में रू0 380.00 लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख) मात्र अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। इस कारण से इस अतिरिक्त राशि को सम्मिलित करते हुए पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-2257 दिनांक-24.05.2016 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है-

2. राज्यांश/राज्य योजना की राशि (I) सामान्य बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश एवं राज्य योजना के तहत Corpus Fund के गठन हेतु प्राप्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230 श्रम तथा रोजगार- उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0101- अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 2230011120101) राज्य योजना स्कीम कोड LAB-5233 के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

(क)	21-01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	1600000/-
(ख)	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	-	50400000/-
	कुल योग	-	52000000/-

रूपये पाँच करोड़ बीस लाख मात्र ।

(II) अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष- 2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड- पी० 2230017890102) राज्य योजना स्कीम कोड LAB-5552 के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

(क)	21-01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	900000/-
(ख)	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	-	4600000/-
	कुल योग	-	5500000/-

रूपये पचपन लाख मात्र ।

(III) अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष - 2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष 103- बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम(विपत्र कोड-पी० 2230017960103)के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

(क)	21-01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	-	50000/-
(ख)	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	-	450000/-
	कुल योग	-	500000/-रूपये पाँच लाख मात्र ।

अर्थात् (i)+(ii)+(iii) के तहत राज्यांश की कुल राशि ₹ 580.00 लाख (₹ पांच करोड़ अस्सी लाख) मात्र।

### 3. केन्द्रांश की राशि-

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त तीनों विपत्र शीर्षों के तहत बंधुआ मजदूरों को उपलब्ध कराई गई राज्यांश राशि के विरुद्ध केन्द्रांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष- 2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0201-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड- पी० 2230011120201) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	-	17920000/-
-----------------------------------	---	------------

रूपये एक करोड़ उनासी लाख बीस हजार मात्र ।

4. उक्त के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक से प्राप्त अतिरिक्त राशि को सम्मिलित करते हुए निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है जिसका विषयवार अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार है:-

		पूर्व में स्वीकृत			संशोधन के पश्चात्
(क)	बंधुआ मजदूर के पुनर्वास पर होने वाला केन्द्रांश की राशि	₹10,000x1200	बंधुआ मजदूर	12000000	17920000
(ख)	i) बंधुआ मजदूर के पुनर्वास पर होने वाला राज्यांश की राशि	₹10,000x1200	बंधुआ मजदूर	12000000	12000000
	ii) लक्ष्य से अधिक विमुक्त होने वाले कुल अनुमानित 485 बंधुआ मजदूर के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि पर होने वाले व्यय के लिए सुरक्षित रखी गयी राशि	₹10,000x485	बंधुआ मजदूर	4850000	4850000
(ग)	अन्य राज्यों/जिलों से बंधुआ मजदूरों के विमुक्ति के पश्चात् उन्हें घर तक पहुँचाने का अनुमानित मार्ग व्यय एवं Corpus Fund के गठन पर व्यय	₹ 500 x1200	बंधुआ मजदूर	600000	38600000
(घ)	विमुक्ति पश्चात् बंधुआ मजदूरों का भोजन, नास्ता, वस्त्र, दवा आदि पर अनुमानित व्यय	₹ 500 x1350	बंधुआ मजदूर	675000	675000
(ङ)	पुनर्वास के उपरान्त 30 दिन के राशन पर अनुमानित व्यय	₹1,500 x 1250	बंधुआ मजदूर	1875000	1875000
कुल योग				32000000	75920000

रूपये सात करोड़ उन्सठ लाख बीस हजार मात्र ।

5 इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से विमुक्त बंधुआ मजदूरों को लाभाविन्त करने हेतु केन्द्रांश मद में उपशीर्ष-0201-बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी 2230011120201) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01) में 59.20 लाख एवं बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पुनरीक्षित नयी संशोधित स्कीम के तहत सभी जिलों में Corpus Fund के गठन हेतु उपशीर्ष 0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी 2230011120101) के अन्तर्गत विषयशीर्ष- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01) में 380.00 लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख) मात्र अतिरिक्त राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प सं० 96 वि (2) दि० 03.01.08 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निर्गत किया जाता है। यह चालू योजना है।

7. प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन पृ०-112/टि० पर प्राप्त है।

8. प्रस्ताव/प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०-112/टि० पर प्राप्त है।


9. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/ संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/ श्रमायुक्त के सचिव, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार होंगे।

10. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पुनरीक्षित नयी संशोधित स्कीम के तहत सभी जिलों में Corpus Fund के गठन हेतु उपशीर्ष 0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी 2230011120101) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01) में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त रू० 380.00 लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख) मात्र राशि की निकासी जिला पदाधिकारी पटना द्वारा की जायेगी।

11. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से संबंधित मामलों के पुनर्वास की राशि अविलम्ब विमुक्त की जायेगी।


12. चिन्हित लाभुकों को राशि के भुगतान के उपरांत DBT प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

13. कॉरपस फंड से राशि की निकासी के पश्चात् विभाग को सूची सहित प्रतिवेदित किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन  
  
संजय कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं० 1175 पटना, दिनांक 27-3-17

प्रतिलिपि:-अवर सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार जैसलमेर हाउस मानसिंह रोड नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संजय कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं० 1175 पटना, दिनांक 27-3-17

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष) एवं प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संजय कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।